संसदीय कार्य मंत्रालय

बजट सत्र 2026 से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति

1. संसद का बजट सत्र, 2026, बुधवार, 28 जनवरी, 2026 से शुरू हुआ था। दोनों सदनों को शनिवार, 18 अप्रैल, 2026 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच दोनों सदन शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को मध्यावकाश हेतु स्थगित कर दिए जाने के बाद सोमवार, 9 मार्च, 2026 को पुनः समवेत हुए थे ताकि विभागों संबंधी स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदान मांगों की जांच कर सकें और उन पर अपनी रिपोर्ट दे सकें। दोनों सदनों को 16 अप्रैल, 2026 को पुन: समवेत होने के लिए 2 अप्रैल, 2026 को दोबारा स्थगित किया गया था ताकि आवश्यक सरकारी कार्य निपटाया जा सके।

2. बजट सत्र के पहले भाग के दौरान लोक सभा और राज्य सभा दोनों की कुल 13 बैठकें हुईं थी। सत्र के दूसरे भाग में दोनों सदनों की 15 बैठकें हुईं। सत्र के तीसरे भाग के दौरान लोक सभा और राज्य सभा दोनों की तीन बैठकें हुईं। पूरे बजट सत्र के दौरान 81 दिनों की अवधि में कुल 31 बैठकें हुईं।

3. यह वर्ष का पहला सत्र होने के नाते, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुसार 28 जनवरी, 2026 को संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण दिया था। लोक सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव श्री सर्बानंद सोणोवाल, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने पेश किया था और श्री तेजस्वी सूर्या, संसद सदस्य ने इसका समर्थन किया था। लगातार व्यवधान के कारण इस मद पर लोक सभा में 18 घंटे के आबंटित समय के मुकाबले केवल 02 घंटे 46 मिनट तक चर्चा हुई। केवल 06 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। राज्य सभा में इसे श्री सि. सदानन्दन मास्टर, संसद सदस्य ने पेश किया और डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी, संसद सदस्य ने इसका समर्थन किया। इस मद पर राज्य सभा में 16 घंटे के आबंटित समय के मुकाबले 17 घंटे 20 मिनट तक चर्चा की गई। चर्चा में 81 सदस्यों ने भाग लिया था। माननीय प्रधानमंत्री ने राज्य सभा में बहस का उत्तर दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तावों को दिनांक 05.02.2026 को दोनों सदनों में स्वीकृत किया गया।

4. वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट रविवार, 1 फरवरी, 2026 को पेश किया गया। दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा सत्र के पहले भाग के दौरान हुई। लोक सभा में इस पर 12 घंटे 57 मिनट तक चर्चा हुई और 63 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया तथा राज्य सभा में इस पर 16 घंटे 30 मिनट तक चर्चा हुई और चर्चा में 97 सदस्यों ने भाग लिया।

5. दिनांक 10.03.2026 को डॉ. मोहम्मद जावेद ने लोक सभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव पर दो दिन (10 और 11 मार्च, 2026) चर्चा हुई, जिसमें लोक सभा का 12 घंटे 27 मिनट का समय लगा। इस बहस में 53 सदस्यों ने भाग लिया। यह प्रस्ताव अंततः अस्वीकृत हो गया था।

6. सत्र के दूसरे भाग के दौरान, भारत के संघ के लिए वर्ष 2025-26 की अनुपूरक अनुदान मांगों का दूसरा और अंतिम बैच 13.03.2026 को लोक सभा में स्वीकृत किया गया और उसके बाद संबंधित विनियोग विधेयक भी पारित किया गया।

7. लोक सभा में रेल तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयों की अलग-अलग अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान किया गया। अंत में, शेष मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों को बुधवार, 18 मार्च, 2026 को सदन में मतदान हेतु प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात संबंधित विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक भी उसी दिन लोक सभा में पुर:स्थापित, विचार और पारित कर दिया गया।

8. वित्त विधेयक, 2026 को लोक सभा द्वारा दिनांक 25.03.2026 को पारित किया गया।

9. राज्य सभा ने वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे एवं अंतिम बैच से संबंधित विनियोग विधेयक को 17.03.2026 को लौटा दिया।

10. राज्य सभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की गई।

11. राज्य सभा ने वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र की अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक एवं वित्त विधेयक, 2026 को भी दिनांक 27.03.2026 को लौटा दिया।

12. माननीय प्रधानमंत्री ने 23.03.2026 को लोक सभा में और 24.03.2026 को राज्य सभा में, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और भारत के सामने आने वाली चुनौतियों के संबंध में वक्तव्य दिया।

13. सत्र के तीसरे भाग के दौरान, देश में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को सुविधाजनक बनाने और 'लोक सभा' तथा 'विधान सभाओं' में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने वाले उपबंधों को लागू करने के उद्देश्य से, 'संविधान (एक सौ इकतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2026', 'संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' और 'परिसीमन विधेयक, 2026' लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए। चूंकि 'संविधान (एक सौ इकतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2026' को, उसके विचारण और पारण संबंधी प्रस्ताव के दौरान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार अपेक्षित बहुमत प्राप्त नहीं हो सका, अतः इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप, इस पर निर्भर दो अन्य विधेयकों—अर्थात् 'संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' और 'परिसीमन विधेयक, 2026' पर भी आगे नहीं बढ़ा गया।

14. इस सत्र के दौरान, लोक सभा में कुल 12 विधेयक पुर:स्थापित किए गए तथा राज्य सभा में 01 विधेयक पुर:स्थापित किया गया। लोक सभा द्वारा 09 विधेयक पारित किए गए, राज्य सभा द्वारा 09 विधेयक पारित किए/लौटाए गए और एक विधेयक लोक सभा में वापस लिया गया। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयकों की कुल संख्या 09 रही।

15. लोक सभा और राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयकों, दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजे गए विधेयकों, लोक सभा द्वारा पारित विधेयकों, राज्य सभा द्वारा पारित किए/लौटाए गए विधेयकों तथा दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों और लोक सभा से वापस लिए गए विधेयक की सूची **परिशिष्ट** के रूप में संलग्न है।

16. बजट सत्र, 2026 के दौरान लोक सभा की उत्पादकता लगभग 93% तथा राज्य सभा की उत्पादकता लगभग 110% रही।

***

परिशिष्ट

18वीं लोक सभा के सातवें सत्र और राज्य सभा के 270वें सत्र के दौरान निष्पादित विधायी कार्य

I. लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2026
2. औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
3. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026
4. विनियोग विधेयक, 2026
5. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026
6. कारपोरेट विधि (संशोधन) विधेयक, 2026
7. विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026
8. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026
9. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026
10. संविधान (एक सौ इकतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2026
11. संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026
12. परिसीमन विधेयक, 2026

II. राज्य सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक

1. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026

III. दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया विधेयक

1. कारपोरेट विधि (संशोधन) विधेयक, 2026

IV. लोक सभा में वापस लिया गया विधेयक

1. *प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित,* जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025

V. लोक सभा द्वारा पारित विधेयक

1. औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
2. विनियोग विधेयक, 2026
3. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026
4. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026
5. वित्त विधेयक, 2026
6. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
7. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026
8. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026
9. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026

VI. राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक

1. औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
2. विनियोग विधेयक, 2026
3. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026
4. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026
5. वित्त विधेयक, 2026
6. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026
7. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
8. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026
9. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026

VII. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक

1. औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
2. विनियोग विधेयक, 2026
3. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026
4. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026
5. वित्त विधेयक, 2026
6. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
7. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026
8. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026
9. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026

***